



कार्यालय

फोन/फैक्स नं०- 01375-224233
E-Mail dfobarkot@gmail.com
वन मित्र कॉल सेंटर- 9208008000

प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट,
पत्राक- 3032 / 12-1 दिनांक, बड़कोट, मई 16 2018।

सेवा में,

✓ अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिचाई खण्ड
पुरोला।

पजीकृत डाक

विषय:- जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-7 के अन्तर्गत खरादी से स्यालना, भन्साडी मोटर मार्ग निर्माण हेतु (लम्बाई 10 कि०मी०) 3.64 है० वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु पी0एम0जी0एस0वाई0 सिचाई खण्ड, पुरोला को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर मध्य क्षेत्र) देहरादून की स्वीकृति संख्या-08बी/यू.सी.पी./06/167/2016/एफ.सी./269 दिनांक 11.05.2018।

महोदय,

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर मध्य क्षेत्र) देहरादून के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयगत मोटर मार्ग निर्माण प्रस्ताव की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्त संख्या 1 तथा 2 के अनुसार जमा की जाने वाली धनराशि का मांग पत्र निर्धारित प्रपत्र में इस आशय से संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है कि मांग के अनुसार धनराशि कैम्पा कोष में जमा कर जमा की गई धनराशि के चालान की प्रमाणित छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या 1 से 6 तक की अनुपालन आख्या मय प्रमाण पत्रों के तीन प्रतियों में इस कार्यालय को प्रेषित करें ताकि शर्तों की अनुपालन आख्या नोडल अधिकारी को प्रेषित किया जा सकें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

D/man

E.E. 24/5/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षक, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

भवदीय,

(जे०पी० सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।

(जे०पी० सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।

12-1 land transfer..

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-7 के अन्तर्गत खरादी से स्थालना, भन्साडी मोटर मार्ग निर्माण हेतु (लम्बाई 10 कि०मी०) 3.64 है० वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु पी०एम०जी०एस०वाई० सिचाई खण्ड, पुरोला को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों के अन्तर्गत प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का मांग पत्र।

अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट

क्र० सं०	मोटर मार्ग का नाम	हस्तान्तरित की जाने वाली वन भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)	ईको क्लास श्रेणी	हरियाली का घनत्व	मद का विवरण	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का क्षेत्रफल (हे० में)	दर प्रति हे० (प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक क 972/3-5-2(II) दिनांक 21.11.2017 के अनुसार वसूली वर्ष 2018-19 हेतु निर्धारित दर के अनुसार)	जमा की जाने वाली आकलित धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-7 के अन्तर्गत खरादी से स्थालना, भन्साडी मोटर मार्ग निर्माण हेतु (लम्बाई 10 कि०मी०) 3.64 है० वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु पी०एम०जी०एस०वाई० सिचाई खण्ड, पुरोला को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव	3.64	5	0.5	1- प्रत्यावर्तित भूमि के बदले दो गुने सिविल सोयम भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि 2- एन०पी०वी० की धनराशि	7.28	278665.00 रु० प्रति हे० की दर से	20,28,681.00
कुल योग						3.64	845000.00 प्रति हे०	30,75,800.00
इकावन लाख चार हजार चार सौ इकासी रु०								51,04,481.00